

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 'वैट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 37 अनुच्छेद सम्मिलित हैं, जिनमें राशि ₹ 346.48 करोड़ अन्तर्निहित है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2013-14 में ₹ 74,470.37 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 91,326.91 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 38,672.87 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹ 13,229.50 करोड़ को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 51,902.37 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 39,424.54 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का हिस्सा: ₹ 19,817.04 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान: ₹ 19,607.50 करोड़) थी।

(अनुच्छेद 1.1)

II. बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट

'वैट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- राजस्थान वैट अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध 366 व्यक्तियों को एक से अधिक कुल 742 पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये। इसके परिणामस्वरूप पांच मामलों में ₹ 3.27 करोड़ के टर्नओवर पर ₹ 14.73 लाख कर का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 2.4.9)

- खान एवं भू-विज्ञान विभाग से एकत्रित सूचनाओं का प्रतिसत्यापन करने पर पाया गया कि 142 खान मालिकों/लीज होल्डर्स को कर दायरे में नहीं लाया गया और ₹ 189.87 करोड़ के टर्नओवर पर कर राशि ₹ 9.49 करोड़ का आरोपण नहीं हो सका।

(अनुच्छेद 2.4.11.2)

- सही कर दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक विवरणों को प्राप्त करने हेतु विवरणियों के प्रारूप पर्याप्त नहीं थे। सूचनाओं की कमी के परिणामस्वरूप 22 व्यवहारियों पर ब्याज एवं शास्ति सहित कर ₹ 6.37 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 2.4.13.1 एवं 2.4.13.3)

- चयनित व्यवहारियों की व्यवसाय लेखापरीक्षा में 36 से 67 प्रतिशत तक की कमी ध्यान में आयी। सम्पादित व्यवसाय लेखापरीक्षा में कमी के कारण व्यवसाय लेखापरीक्षा के 3,206 निर्धारण प्रकरण कालातीत हो गये। इसके

अतिरिक्त कम संख्या में व्यवसाय लेखापरीक्षा करने से निर्धारण प्राधिकारियों को इस बात की छूट मिलती है कि वे अपनी इच्छानुसार व्यवसाय लेखापरीक्षा के लिये मामलों को चुनें जो गलत परिपाटी को बढ़ावा दे सकती है।

(अनुच्छेद 2.4.15.1)

- यह पाया गया कि 1,440 व्यवहारियों ने ₹ 11.39 करोड़ का कर एकत्रित किया लेकिन उनकी विवरणियों में शून्य टर्नओवर दर्शाया गया। तथापि निर्धारण प्राधिकारी करापवचना का पता नहीं लगा सके एवं ब्याज और शास्ति सहित कर ₹ 38.95 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.15.4)

- 189 व्यवहारियों ने ₹ 1.93 करोड़ के आगत कर लाभ का दावा किया, जिन्होंने ऐसे विक्रेता व्यवहारियों से क्रय करना दर्शाया था जिनके पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त हो चुके थे। तथापि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इन व्यवहारियों का डीमंड निर्धारण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज और शास्ति सहित आगत कर लाभ ₹ 6.61 करोड़ का अनारोपण रहा/गलत अनुमत्य किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.19.1)

- निर्धारण प्राधिकारियों ने 144 मामलों में व्यवहारियों को ₹ 1.44 करोड़ का आगत कर लाभ अनुमत्य किया, बावजूद इसके कि इन व्यवहारियों ने उन व्यवहारियों से क्रय किया जाना दर्शाया जिनके पंजीयन प्रमाण-पत्र पूर्व में ही निरस्त किये जा चुके थे। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 4.93 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 2.4.19.2)

- निर्धारण प्राधिकारियों ने 117 व्यवहारियों पर रिवर्स कर का आरोपण करते समय ₹ 3.24 करोड़ की शास्ति का आरोपण नहीं किया जिन्होंने उन व्यवहारियों से माल क्रय करने पर आगत कर लाभ का दावा किया था जिनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किये जा चुके थे।

(अनुच्छेद 2.4.19.3)

- 159 व्यवहारियों ने अयोग्य वस्तुओं की खरीद पर आगत कर लाभ अनियमित रूप से लिया। निर्धारण प्राधिकारियों ने रिवर्स कर, शास्ति एवं ब्याज ₹ 21.04 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.4.20)

- यह पाया गया कि 100 व्यवहारियों ने उनकी विवरणियों में पुनःआयातित माल को या तो दर्शाया ही नहीं अथवा कम राशि दर्शाया जिसके परिणामस्वरूप कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 5.38 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.23)

- राज्य आबकारी विभाग ने 11 व्यवहारियों को तीन सितारा एवं अधिक या हैरिटेज होटल्स (बी-श्रेणी) की बार-अनुज्ञप्तियाँ जारी की। तथापि इन व्यवहारियों ने अपने होटलों को तीन सितारा होटल से कम श्रेणी का मानते हुये, उनके

द्वारा पकाये एवं परोसे गये भोजन के विक्रय पर कम दर से कर चुकाया। निर्धारण प्राधिकारियों ने कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 15.18 करोड़ आरोपित नहीं की।

(अनुच्छेद 2.4.25.1)

राज्य के बाहर से, व्यवसाय में उपयोग या उपभोग करने के लिये क्रय माल पर प्रवेश कर आरोपित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.21 करोड़ के कर एवं ₹ 45.41 लाख ब्याज की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 2.7)

III. वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

‘परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा के उपाय’ के अनुच्छेद में निम्नलिखित पाया गया:

- पूरे राज्य में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता से सम्बन्धित कार्ययोजना के क्रियान्वयन में देरी से विभाग/सरकार की सड़क सुरक्षा की तरफ उदासीनता परिलक्षित होती है।

(अनुच्छेद 3.4.4.1)

- बार-बार चूक करने वाले व्यक्ति को आसानी से पहचान कर तथा उसके विगत इतिहास का पता लगाकर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये ‘वाहन’ सॉफ्टवेयर के एनफोर्समेंट मॉड्यूल का क्रियान्वयन नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.4.4.3)

- ओवरलोडिंग वाहनों पर जुर्माना लगाने में राज्य सरकार द्वारा दी गयी शिथिलता के कारण इस सम्बन्ध में रोक का भाव कम हुआ जबकि इसे प्राप्त किया जाना चाहिए था। इसके अलावा राज्य सरकार को ₹ 84.91 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

खनन गतिविधियों में शामिल 700 ओवरलोडिंग वाहनों की मापक जांच में कोई कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया। इन वाहनों से ₹ 2.25 करोड़ प्रशमन राशि/जुर्माना के रूप में इन वाहनों से वसूल किये जाने योग्य थे।

(अनुच्छेद 3.4.4.5)

- ओवरलोडिंग वाहनों की जांच हेतु अन्तरराज्यीय सीमाओं पर कर संग्रहण केन्द्रों पर कम्प्यूटरीकृत तौल यन्त्र स्थापित किये जाने चाहिए थे किन्तु विभाग द्वारा कोई कम्प्यूटरीकृत तौल यन्त्र स्थापित नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 3.4.5.2)

- 51 जिला परिवहन कार्यालयों में से 21 में चालक परीक्षण ट्रैक उपलब्ध नहीं थे जो इंगित करते हैं कि ड्राईविंग लाईसेंस जारी किये जाने से पूर्व लिये जाने वाले परीक्षण हेतु वांछित आधारभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं।

(अनुच्छेद 3.4.5.3)

- विगत 15 वर्षों में परिवहन श्रेणी के कुल पंजीकृत वाहनों में से 7,25,854 वाहनों के सम्बन्ध में अवधि 2011-12 से 2013-14 में फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीनीकरण शुल्क ₹ 7.26 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 3.4.5.5)

गैर परिवहन श्रेणी के 108 वाहनों पर एकबारीय कर तथा सरचार्ज कुल राशि ₹ 1.18 करोड़ की कम वसूली/अवसूली पायी गयी।

(अनुच्छेद 3.5)

एकमुश्त कर ₹ 1.35 करोड़ का 312 वाहन स्वामियों द्वारा या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.6)

राजकीय राशि ₹ 11.74 करोड़ रोकड़ पुस्तिका में से राजकोष में जमा कराना दर्शायी गयी जबकि वास्तव में यह रोकड़ पुस्तिका में दर्शायी गयी जमा की दिनांक के बाद राशि जमा करायी गयी। जमा कराने में विलम्ब 1 से 191 दिन का था। कुल राशि ₹ 16.63 करोड़ राजस्व प्राप्ति को अगले कार्य दिवस पर जमा नहीं कराया गया बल्कि एक से पांच दिवस के विलम्ब से जमा कराया गया और प्राप्ति राशि ₹ 32.74 लाख को बैंक में जमा नहीं कराया गया।

(अनुच्छेद 3.7)

अवधि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि का 5,538 वाहनों से सम्बन्धित मोटर वाहन कर व विशेष पथ कर कुल ₹ 18.05 करोड़ का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.8)

IV. भू-राजस्व

दो मामलों में, विभाग द्वारा आवंटित भूमि की कीमत की तुलना में समर्पित भूमि की कीमत की त्रुटिपूर्ण गणना की गई। इसके परिणामस्वरूप अन्तर कीमत ₹ 1.37 करोड़ की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 4.4)

भू-उपयोग परिवर्तन के लिये अनुमति प्राप्त किये बिना कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 80.68 लाख रूपान्तरण प्रभागों की अवसूली अथवा कम वसूली रही।

(अनुच्छेद 4.5)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

मैसर्स कैपसटन मीटर कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (सीएमसी) से सम्बन्धित भूमि के एक टुकड़े का औद्योगिक से वाणिज्यिक में रूपान्तरण किया गया तथा अन्य इकाई अर्थात् मैसर्स जय ट्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड (जेडीपीएल) को, बिना यह सुनिश्चित किये कि पूर्व में सीएमसी को निष्पादित पट्टा विलेख निरस्त कर दिया गया है अथवा प्रतिफल प्राप्ति पर जेडीपीएल को भूमि हस्तान्तरित की गई, पट्टा जारी किया गया। जिला स्तरीय कमेटी दरों के अनुसार भूमि का मूल्य ₹ 531.41 करोड़ था जिस पर मुद्रांक कर ₹ 29.23 करोड़ प्रभार्य था। इसके अलावा, संपरिवर्तन प्रभारों पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 2.29 करोड़ कम प्रभारित किये गये।

(अनुच्छेद 5.4.1)

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 37(4) के तहत 212 मामलों में आरोपण योग्य मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 6.39 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.4.2)

गलत वर्गीकरण अथवा अवमूल्यांकन के कारण 34 विकास अनुबन्धों में मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क राशि ₹ 6.15 करोड़ अनारोपित रहे अथवा कम आरोपित किये गये।

(अनुच्छेद 5.5)

उप पंजीयकों द्वारा 20 विक्रय विलेखों में पूंजी अंशदान अथवा अपने हिस्से के प्रतिफल के रूप में व्यक्तियों द्वारा साझेदारी फर्म को सम्पूर्ण भूमि के अंशदान के तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया तथा बाजार मूल्य ₹ 54.59 करोड़ पर प्रचलित प्रावधानों के अनुसार मुद्रांक कर वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 3.00 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.6)

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 में वर्णित शर्तों के उल्लंघन अथवा पात्रता के अभाव के कारण लाभार्थी मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 1.22 करोड़ वापस लौटाने के लिये दायी थे।

(अनुच्छेद 5.7)

सम्पत्तियों का बाजार मूल्य कम आंका गया इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी सम्पत्तियाँ वाणिज्यिक/सांस्थानिक/आवासीय प्रयोजनार्थ क्रय की गई थी अथवा ऐसी जगह पर अवस्थित थी जहां डीएलसी की उच्च दरें लागू थी। इसके परिणामस्वरूप 15 मामलों में राशि ₹ 1.59 करोड़ मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.8)

एक दस्तावेज कब्जा रहित विक्रय अनुबन्ध के रूप में पंजीबद्ध हुआ इस तथ्य के बावजूद कि भूमि के भौतिक कब्जे के हस्तान्तरण के समय सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली गई थी। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹ 25.02 लाख का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.10)

VI. राज्य आबकारी शुल्क

‘राज्य आबकारी विभाग की बकाया’ के अनुच्छेद में निम्नलिखित पाया गया:

- 31 मार्च 2015 तक कुल ₹ 198.73 करोड़ वसूली के लिये बकाया थे।

(अनुच्छेद 6.4.4)

- आबकारी आयुक्त ने अवधि 1967-68 से 2006-07 तक के ₹ 35.32 करोड़ राशि के 64 प्रकरण अपलेखन के चिन्हित किये। जिन पर 31 मार्च 2015 तक अपलेखन का निर्णय नहीं लिया गया था।

(अनुच्छेद 6.4.4.2)

- जिला आबकारी कार्यालय, कोटा और अजमेर के तीन प्रकरणों जिनमें ₹ 28.90 करोड़ राजस्व शामिल था, चूककर्ताओं की पहचानी गयी सम्पत्तियों के कुर्की का अभाव पाया गया।

(अनुच्छेद 6.4.6)

- जिला आबकारी अधिकारी, कोटा द्वारा वर्ष 1999-2001 के लिये दिये गये मदिरा समूह कोटा के एक चूककर्ता अनुज्ञाधारक की चिन्हित की गयी दो सम्पत्तियों जिनकी सोलवेन्सी राशि ₹ 1.60 करोड़ थी, को वर्ष 2000-2001 में कुर्क किया था। अभी तक सम्पत्ति चूककर्ता के कब्जे में थी। विभाग 20 नीलामी नोटिस के बावजूद भी सम्पत्ति की नीलामी नहीं कर सका।

(अनुच्छेद 6.4.7.2)

- पांच जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि विभाग द्वारा 34 सम्पत्तियों की नीलामी में ₹ 1.90 करोड़ की वसूली की, जो कि सोलवेन्सी प्रमाण-पत्रों में दर्शित राशि ₹ 4.19 करोड़ की तुलना में काफी कम थी।

(अनुच्छेद 6.4.8)

जिला आबकारी अधिकारी, बहरोड़ और अलवर के अन्तर्गत पांच ब्रेवरीज द्वारा निर्यातित 95,186.96 बल्क लीटर (12,204 कार्टन) बीयर, जिसमें ₹ 42.02 लाख का आबकारी शुल्क निहित था, की कम सुपुर्दगी की गयी। शुल्क न तो ब्रेवरीज द्वारा जमा कराया गया और न ही विभाग द्वारा माँगा गया। परिणामस्वरूप ₹ 42.02 लाख की राज्य आबकारी शुल्क की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.5)

विभाग द्वारा 'स्टार' श्रेणी के स्थान पर 'अन्य' श्रेणी की होटल बार अनुज्ञाशुल्क प्राप्त कर होटल बार अनुज्ञापत्र जारी/नवीनीकृत किये गये। परिणामस्वरूप बार अनुज्ञाशुल्क ₹ 36.50 लाख की कम वसूली रही।

(अनुच्छेद 6.6)

वर्ष 2013-14 में दो थोक विक्रेताओं द्वारा 65 'बोटल्ड इन अदर कन्ट्री' (बी.आई.ओ.) ब्राण्डस उनके विभिन्न डिपो के लिये आयात किये गये और 106 खुदरा विक्रेताओं द्वारा 2,841 बी.आई.ओ. ब्राण्डस आयात किये गये। इन थोक और खुदरा विक्रेताओं द्वारा विदेशी मदिरा आयात करने पर अनुज्ञाशुल्क न तो जमा कराया गया और न ही विभाग द्वारा मांगा गया। परिणामस्वरूप अनुज्ञाशुल्क ₹ 8.65 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 6.8)

VII. कर-इतर प्राप्तियाँ

खनिज बजरी से सम्बन्धित अधिक अधिशुल्क के संग्रहण के लिये उच्चतम निविदा को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.4)

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37ए(ix) के प्रावधानों के उल्लंघन में मेगा हाइवे के कार्यों में उपयोग में लिये गये खनिज पर अधिशुल्क के अनियमित संग्रहण के परिणामस्वरूप अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार से ₹ 58.05 लाख की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 7.5)

खनिज मार्बल के दो पट्टेधारियों तथा खनिज चुनाई पत्थर के 27 पट्टेधारियों द्वारा कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त किये बिना राशि ₹ 5.82 करोड़ के 3,985 मै.टन खनिज मार्बल तथा 2.29 लाख मै.टन चुनाई पत्थर का उत्खनन किया गया।

(अनुच्छेद 7.8)

खनन योजना के अनुमोदन के बिना 65 पट्टाधारियों द्वारा खनिज चुनाई पत्थर तथा सैण्ड स्टोन राशि ₹ 15.56 करोड़ का उत्खनन किया गया।

(अनुच्छेद 7.9)

वांछित अनुमति प्राप्त किये बिना तथा अधिशुल्क के भुगतान किये बिना 52 मामलों में ईट भट्टा मालिकों द्वारा अवैध ईट मिट्टी का उपयोग करने पर ₹ 11.81 करोड़ की मांग कम कायम की गयी।

(अनुच्छेद 7.12)

